Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 326/2026, Pothia P.S. Case No.- 61/2026
Md. Nazir V/s State of Bihar

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 326/2026
Pothia P.S. Case No.- 61/2026

1. मो0 नाजीर पिता मो0 फकरूद्दीन, उ0त0 46 वर्ष,
निवासी सा0 ग्रामः– कुसियारी, थाना– पोठिया,
जिला– कटिहार।...आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 स0 लो0 अभि0 श्री .....सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री...सरोज कुमार।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 08-04-2026

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 18.03.2026 से काराधीन उपरोक्त अभियुक्त की ओर से दिनांक 24.03.2026 को विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका कहकशा खातून ने थाना प्रभारी पोठिया को लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 08.03.2026 को रात्रि नौ बजे में मेरे दरवाजे पर मो0 तबरेज पिता मो0 अलाउद्दीन मोटरसाईकिल लेकर जोर–जोर से हॉर्न एवं एक्सलेटर बजा रहा था, जिसे मना किया तो मो0 तबरेज ने गन्दा गाली देना शुरू किया और मेरे उपर लपका तो मुझे बचाने मेरे पिताजी आये, इस पर मो0 नाजिर पिता मो0 फकरूद्दीन, आकाश राजा पिता मो0 नाजिर, मो0 अकबर पिता स्व0 खबरूद्दीन एवं मो0 परवेज पिता मो0 अलाउद्दीन एवं अन्य व्यक्ति ने मिलकर मेरे दाहिने माथे से सिर पर तेज धार दबिया से मो0 नाजिर ने मारा, जिससे मेरा माथा सिर कटकर लहूलूहान हो गया और मैं बुरी तरह से जख्मी हो गयी। घटना को अंजाम देकर सभी व्यक्ति भाग गये।
3. नियमित जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 18.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक को इस मामले में गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक के साथ घटित घटना के संबंध में पोठिया थाना कांड संख्या– 67/2026 दर्ज किया गया है, जिसमें सूचक एवं अन्य अभियुक्त है। प्रार्थी के साथ सूचक एवं उसके परिवार के द्वारा दिनांक 08.03.2026 को सुबह आठ बजे मोटरसाईकिल विवाद को लेकर घटना हुआ था, जिसका आवेदन आवेदक ने थाना प्रभारी को दिया था, किन्तु सूचक का कांड संख्या पहले दर्ज किया गया तथा आवेदक का बाद में दर्ज किया गया। आवेदक गरीब एवं मजदूर किश्म का व्यक्ति है तथा उसका समाज में किसी भी प्रकार का विवाद किसी व्यक्ति से नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये धाराओं में धारा 118 को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय हैं। आवेदक सूचक को फंसाने के लिए मनगढंत और झूठा षडयंत्र रचकर अपने से घटना कारित किया

Web copy of Court Katihar

है। आवेदक को जमानत देने पर उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक कटिहार सरदार यशवंत सिंह द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक पर सूचिका को तेज धार दबिया से मारकर जख्मी करने का आरोप है, जिसके लिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका कहकशा खातून के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध पोठिया थाना कांड संख्या– 126 दिनांक 10.03.2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 115(2), 318, 351(2), 352, 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2,8,9,35 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा उभय पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध गाली–गलौज एवं मारपीट करने तथा मामला दर्ज कराने की बात कहा गया है। कंडिका 17 से विदित है कि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। कंडिका 32 के अनुसार सूचिका कहकशा खातून का जख्म चिकित्सक की राय में कठोर एवं कुन्द पदार्थ से कारित किया गया साधारण प्रकृति का पाया गया है, जबकि सूचिका द्वारा उसपर आवेदक द्वारा तेज धार दबिया से हमला किये जाने का आरोप है। आवेदक दिनांक 18.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के कारावास की अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदक मो0 नाजिर के नियमित जमानत आवेदन दिनांक 24.03.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10000/–रूपये तथा समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480(3) में वर्णित उपबंधों के पालन के वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. आवेदक के एक जमानतदार परिवार के सदस्य अथवा नजदीकी संबंधी होंगे।
2. आवेदक इस आशय का शपथ पत्र/अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. आवेदक इस आशय का शपथ पत्र/अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि भविष्य में इस तरह के किसी मामले में संलिप्त नहीं होगा। पुनः इस तरह के मामले में संलिप्त पाये जाने पर बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।

कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date of order	08-04-2026
Date of Reserving order	08-04-2026
Date of uploading	08-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)

Web copy of Court, Katihar